भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3347

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य सेवा व्यय कम करने की कार्यनीतियाँ

†3347. श्री अरुण नेहरूः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में अस्पताल में भर्ती होने और आवश्यक चिकित्सा सेवाओं की लागत को कम करने के लिए बढ़ती स्वास्थ्य सेवा महंगाई को देखते हुए कोई राष्ट्रीय कार्यनीति लागू की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी अस्पतालों में सर्जरी, निदानिकी और आईसीयू सेवाओं के मूल्य निर्धारण को विनियमित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) देश में महंगी निजी देखभाल पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार किस प्रकार सार्वजनिक अस्पतालों को मजबूत कर रही है;

(ङ) आयुष्मान भारत और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत कवरेज और प्रतिपूर्ति दरों का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार द्वारा देश भर में मरीजों के खर्च को कम करने के लिए जेनेरिक दवाओं, स्थानीय खरीद और टेलीमेडिसिन के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु कोई रोडमैप तैयार किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय होने के कारण, सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के अस्पतालों में भर्ती होने और आवश्यक चिकित्सा सेवाओं की लागत को कम करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का है।

फिर भी, भारत सरकार (जीओआई) ने मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणालियों से संबंधित सरकारी (सशस्त्र बलों के अस्पतालों को छोड़कर) और निजी अस्पतालों के पंजीकरण और विनियमन हेतु नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण

और विनियमन) अधिनियम, 2010 (सीई अधिनियम) अधिनियमित किया है और उसके अंतर्गत नैदानिक स्थापन (केंद्रीय सरकार) नियम, 2012 अधिसूचित किए हैं। सीई अधिनियम के तहत, पंजीकरण और निरंतरता के लिए, प्रत्येक अस्पताल को, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रदान की जाने वाली प्रत्येक प्रकार की सेवा और मौजूदा सुविधाओं के लिए ली जाने वाली दरों को स्थानीय और अंग्रेजी भाषा में मरीजों के लाभ के लिए एक प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना आवश्यक है।

इसके अलावा, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मज़बूत करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार की निःशुल्क औषधि एवं निदान सेवा पहल के अंतर्गत, जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में आवश्यक औषधियाँ और निदान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ड़): आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत, स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) को इस योजना के शुभारंभ के बाद से पाँच बार संशोधित और तर्कसंगत बनाया गया है। नवीनतम एचबीपी में 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं में 1961 प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

(च): भारत सरकार ने ग्रामीण और अल्पसेवित शहरी क्षेत्रों में किफायती, प्रौद्योगिकी-संचालित स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए ई-संजीवनी-भारत की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की है , जिसे दो प्रकारों अर्थात् ई -संजीवनी एबी-एएएम (आयुष्मान भारत-आयुष्मान आरोग्य मंदिर) और ई-संजीवनी ओपीडी में लागू किया गया है।

*****